

कानूनसंख्या 13035/2/96- रा. भा. (नीति एवं समन्वय), दिनांक 12.6.1996

विषय: अनुवादकों के लिए भाषा संबंधी न्यूनतम योग्यता।

राजभाषा हिंदी संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 तथा समय-समय पर इनके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों के अनुपालन के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों इनके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों व सार्वजनिक

उपकरणों में विभिन्न श्रेणियों के हिंदी पद सूचित किए गए हैं। इनमें से एक पद अनुवादक का भी है। अनुवादक के लिए कम से कम स्नातक स्तर का हिंदी व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य है, ताकि वह अपने पद के कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर सके। राजभाषा विभाग के परामर्श से हिंदी अनुवादकों व हिंदी अधिकारियों के लिए माडल भर्ती नियम, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। इनमें भी अनुवादकों के लिए स्नातक स्तर से कम योग्यता का प्रावधान नहीं है।

2. राजभाषा विभाग के ध्यान में यह चाल लाई गई है कि केंद्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों/उपकरणों में अनुवादक के लिए स्नातक स्तर से कम ज्ञान के लिए व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, उपकरणों आदि में नियुक्त किए जाने वाले अनुवादकों के पास कम से कम स्नातक स्तर का हिंदी व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो। हिंदी पदों के भर्ती नियम बनाते समय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी माडल भर्ती नियमों को ध्यान में रखा जा सकता है।